औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन।
संख्या 595 /औ.वि./07–उद्योग/2005–06
दिनांक : देहरादून : 17 फरवरी, 2006

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या–940/औ.वि./07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/विशा निर्देशों के अधीन जिलाधिकारी, नैनीताल के पत्र संख्या–3190 दिनांक 28/30 जनवरी, 2006 से प्राप्त श्री राजेश अग्रवाल निवासी कालाढुंगी रोड, जीजीआईसी के सामने, हल्द्वानी (नैनीताल) के प्रस्ताव पर ग्राम–पाड़लीपुर, तहसील–लालकुआँ (हल्द्वानी), जिला–नैनीताल में चिन्हित/संक्रमित 46.93 एकड़ भूमि, जिसके खसरा नंबर **अनुलग्नक–1** में उल्लिखित हैं, की सीमा निरंतरता में 30 एकड़ से अधिक होने के फलस्वरूप एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ मै. महावीर औद्योगिक आस्थान, पाड़लीपुर (मोटा हल्दू) तहसील–लालकुआँ (हल्द्वानी), जिला–नैनीताल नाम से निजी क्षेत्र के औद्योगिक आस्थान के रूप में घोषित/अधिसूचित किया जाता है:–

1. इस ज्ञाप के **अनुलग्नक–1** में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 में प्रविष्टि संख्या–6 में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत Category-B : Proposed Industrial Area/Estates के रूप में क्रमांक–7 पर ग्राम–पाड़लीपुर, तहसील–लालकुआँ (हल्द्वानी) के समुख अधिसूचित है तथा इन खसरा नंबरों में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों (नकारात्मक सूची के उद्योगों को छोड़कर) को भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

2. इस औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तकों तथा साझेदारों के स्वामित्व में है, अतः आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य, आस्थान के प्रवर्तक द्वारा स्वयं किया जायेगा तथा उद्योगों हेतु भूमि आवंटन/विक्रय के लिए सक्षम प्राधिकारी से नियमतः स्वीकृतियां/अनुमति प्राप्त की जायेगी।

3. आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व GDCR–2004 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् मानचित्र व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत करानी होगी।

4. आवंटियों के पक्ष में की जाने वाली convenyance deed/saledeed की प्रति, जिसमें आवंटन की शर्तों एवं मानकों का उल्लेख हो, की प्रति निदेशक उद्योग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. औद्योगिक आस्थान के प्रवर्तकों/आवंटी औद्योगिक इकाईयों द्वारा आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त उद्योग में 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. निजी/संयुक्त/सहकारिता क्षेत्र के औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य दिशा निर्देशों एवं मानकों का पूर्णतः पालन करना आवश्यक होगा।

7. निजी औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए उद्योग निदेशक, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 595 /उक्त/तद्दिनांकित 17-2-06

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
6. जिलाधिकारी, नैनीताल को उनके प्रस्ताव पत्र संख्या-3190 दिनांक 28/30 जनवरी, 2006 के संदर्भ में।
7. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
9. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
10. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
11. श्री राजेश अग्रवाल द्वारा मै. महावीर औद्योगिक आस्थान, पाडलीपुर, लालकुआँ, (हल्द्वानी), जिला-नैनीताल।
12. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
13. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैवसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।